# कार्यकारी सार

1. इस प्रतिवेदन में दो निष्पादन लेखापरीक्षाओं-"एक मान्य निर्यात फिरती योजना" और दूसरी "ईओयू[1]/एसटीपी[2]/ईएचटीपी[3] इकाईयों को केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) की प्रतिपूर्ति" के परिणाम निहित हैं। दोनों ही निर्यात प्रोत्साहन उपाय वाणिज्य विभाग (डीओसी) द्वारा संचालित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1992 (एफटीडीएण्डआर, अधिनियम), के अन्तर्गत विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के अध्याय आठ और छः के अनुसार किए गए हैं।

## मान्य निर्यात फिरती योजना

2. डीओसी का यह कर्तव्य है कि वह 2014 तक भारत के निर्यात माल और सेवाओं को दुगुना करने तथा 2020 तक वैश्विक व्यापार में भारत के हिस्से को दुगुना करने की दृष्टि से व्यापार की त्वरित वृद्धि के लिए समर्थकारी माहौल के सृजन को सुगम बनाए। हर पांच वर्ष में घोषित तथा महानिदेशक विदेश व्यापार (डीजीएफटी) द्वारा कार्यान्वित एफटीपी, भारतीय निर्यात तथा आयात को विशिष्ट रणनीति में परिवर्तित करने के लिए मौलिक नीति ढांचा उपलब्ध कराती है। एफटीपी में विभिन्न शुल्क निराकरण योजनाएं जैसे अग्रिम अनुमोदन, शुल्क-मुक्त आयात अनुमोदन (डीएफआईए), शुल्क हकदारी पासबुक (डीईपीबी), मान्य निर्यात शुल्क फिरती (डीबीके) तथा टर्मिनल उत्पाद शुल्क (टीईडी) प्रतिदाय, निर्यात प्रोत्साहन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) तथा अन्य प्रोत्साहन योजनाएं शामिल हैं।

3. राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 (एफआरबीएम) के अनुसरण में, सरकार ने प्राप्ति बजट 2006-07 से केन्द्रीय कर प्रणाली शुल्क के अन्तर्गत प्रमुख कर व्यय के अनुमान दिखाना शुरू किया। संघ सरकार की बजट प्राप्तियों में केन्द्रीय कर प्रणाली के अन्तर्गत छोड़े गए राजस्व के विवरण फिरती छूट तथा मान्य निर्यात फिरती को नहीं दर्शाते। वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 11 तक चार वर्ष की अवधि के दौरान, ये रिआयतें (डीबीके छूटः ₹ 33,430 करोड़ ; मान्य निर्यात फिरती ; ₹ 7,679 करोड़) ₹ 2,25,284 करोड़ के कुल कर व्यय का 18 प्रतिशत थी।

4. डीओसी के परिणाम ढांचा दस्तावेज़ (आरएफडी) उद्देश्यों तथा परिणाम बजट में निर्यात सब्सिडी के लिए तद्नुरूपी बजट परिव्यय के प्रति नापने योग्य डिलिवरेबल्स का उल्लेख नहीं था। एफटीपी में भी निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के परिणाम की समीक्षा हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

5. जहां तक बजट बनाने, लेखाकरण, भुगतान तथा योजनाओं के परिणाम माप की योजनाओं का संबंध है, डीजीएफटी और डीओसी को अपनी आन्तरिक नियंत्रण पद्धति तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को मज़बूत करना चाहिए। लेखापरीक्षा में देखी गई कमज़ोरियों के कुछ क्षेत्र निम्नलिखित थे।

---

[1] निर्यातोन्मुख इकाई

[2] सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क

[3] इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेचर प्रौद्योगिकी पार्क

क. प्रधान कर संग्रहण अधिकारी (डीओआर)[4] तथा मान्य निर्यात लाभ (डीओसी/डीजीएफटी) की प्रतिपूर्ति करने वाला अधिकारी अलग-अलग हैं। निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं अथवा कर व्यय की प्रभावकारिता के निर्धारण हेतु इनपुट्स पर कर संग्रहण को प्रतिपूर्त मान्य निर्यात लाभ के साथ सहसंबद्ध करने का कोई तन्त्र नहीं है।

ख. एकीकृत वित्त विभाग (आईएफडी) तथा डीओसी के मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए) ने योजना की कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की।

ग. डीजीएफटी की इलेक्ट्रॉनिक डाटा विनिमय (ईडीआई) प्रणाली, दावों की बेहतर मॉनीटरिंग और प्रोसेसिंग के लिए सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क विभाग के साथ दावेदारों द्वारा की गई घोषणाओं के ऑनलाईन सत्यापन हेतु आईसीईएस[5]/एसीईएस[6] के साथ पूर्णतः संबद्ध नहीं है।

घ. विशेष आर्थिक ज़ोन के विकास आयुक्त (डीसी-एसईज़ेड) तथा डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकारियों (आरएज़) ने अनिवार्य अभिलेख जैसे दावा प्राप्ति रजिस्टर, चैक भुगतान रजिस्टर, ब्रांड दर पत्र रजिस्टर, मासिक तकनीकी रिपोर्टें तथा पश्च-लेखापरीक्षा रिपोर्टें- या तो बनाए ही नहीं थे या गलत बनाए थे।

6. हमने इस योजना में निम्नलिखित कमियां देखीः

क. डीजीएफटी ने इस योजना के अन्तर्गत त्रुटिपूर्ण पत्रों (डीएल) का अनुपालन करने के लिए आवेदक के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की थी। आवेदक, दावे अथवा उसके कालातीत होने पर लेट-कट लगाने से बचने के लिए समय-सीमा निर्धारित न होने का अनभिप्रेत लाभ उठा सकता था।

ख. मान्य निर्यात लाभ (टीईडी/ड्राबैक प्रतिदाय के मामले में) का दावा करने की पद्धति, प्रापक पर उस मामले में जहां शुल्क वास्तव में प्रापक द्वारा वहन नहीं किया गया है, कोई रोक नहीं लगाती।

ग. अवैधीकरण तथा निर्गम रिलीज आदेश (एआरओ) के प्रति आपूर्ति तथा विलम्बित भुगतान पर ब्याज का दावा करने के लिए एफटीपी तथा पॉलिसी परिपत्र के प्रावधानों में विसंगतियां हैं। इसी प्रकार, ड्राबैक/टीईडी के गलत भुगतान पर ब्याज के उद्ग्रहण हेतु पॉलिसी में कोई प्रावधान नहीं था।

घ. कुछ मामलों में डीसी-एसईज़ेड और आरएज़ ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर मान्य निर्यात लाभ संस्वीकृत किया।

ड. एफटीपी, आरएज़ और डीसी-एसईज़ेड द्वारा डीबीके की ब्रांड दर के नियतन की अनुमति देती है, जो सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवाकर (संशोधन)

---

[4] राजस्व विभाग

[5] भारतीय सीमाशुल्क ईडीआई प्रणाली

[6] केन्द्रीय उत्पादशुल्क तथा सेवा कर का स्वचालन

नियमावली, 2006 के संगत नहीं है।

7. निम्नलिखित हिसाब से योजना का कार्यान्वयन त्रुटिपूर्ण था।

क. डीसीज़ तथा आरएज़ ने परियोजनाओं के लिए आयातित माल की आपूर्ति हेतु आपूर्तिकारों को डीबीके का भुगतान किया।

ख. डीजीएफटी ने गैर-मेगा बिजली परियोजनाओं को मानित निर्यात लाभ के रूप में अपात्र माल की आपूर्ति के मामलों में प्रदत्त राशि की वसूली के लिए कोई समय-सीमा नियत नहीं की थी। आरएज़ तथा डीसीज़ ने इन मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए सक्रिय कार्रवाई नहीं की थी।

ग. आरएज़ ने टीईडी वापिस कर दी हालांकि शुल्क दावेदारों द्वारा वहन किया गया था। मान्य निर्यात लाभों की प्रतिपूर्ति अनिवार्य प्रमाणपत्र के बिना प्रतिपूर्ति की गई।

घ. परिचालनात्मक अप्रक्रिया के अन्य मामले भी थेः बीजकों पर उत्पाद-शुल्क सहित टीईडी का भुगतान; आपूर्त माल के बीजकों के साथ ईपीसीजी विवरण नहीं थे; माल की आपूर्ति का अवैधीकरण पत्र में उल्लेख नहीं किया गया; डीलरों से प्राप्त एचएसडी[7] पर टीईडी/ड्राबैक का गलत प्रतिदाय; गलत दर लगाने के कारण डीबीके/टीईडी का अधिक भुगतान।

**ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी इकाईयों को केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति**

8. एफटीपी के अध्याय छः के अनुसार ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी इकाईयां, माल/सेवाओं के उत्पादन हेतु घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) से की गई खरीदों पर उनके द्वारा प्रदत्त सीएसटी की प्रतिपूर्ति की हकदार हैं।

9. एफआरबीएम के अनुसरण में, सरकार ने प्राप्ति बजट 2006-07 से केन्द्रीय कर प्रणाली के अन्तर्गत प्रमुख कर व्यय के अनुमान दर्शाने शुरू किए। प्राप्ति बजट में केन्द्रीय कर प्रणाली के अन्तर्गत छोड़े गए राजस्व की विवरणियां, विवरणी में सीएसटी को नहीं दर्शाती। वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 11 तक चार वर्ष की अवधि के दौरान, डीओसी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) ने इस योजना के अन्तर्गत आपूर्तिकारों को ₹1,049 करोड़ की प्रतिपूर्ति की। ब्याज के भुगतान हेतु कोई विशिष्ट लेखाशीर्ष नहीं था।

10. डीईआईटीवाई तथा डीओसी को जहां तक योजनाओं का बजट बनाने, लेखाकरण, भुगतान तथा परिणाम माप का संबंध है अपनी आन्तरिक नियंत्रण पद्धति तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को मज़बूत बनाना चाहिए।

11. लेखापरीक्षा ने योजना के कार्यान्वयन में निम्नलिखित त्रुटियां देखीः

क. डीसीज़ ने ईओयू/एसईजेड़ से खरीदे गए माल तथा आयातित माल पर सीएसटी

[7] हाई स्पीड डीज़ल

के प्रतिदाय किए।

ख. डीसी-एसईज़ेड ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर सीएसटी का प्रतिदाय संस्वीकृत किया।

ग. डीसी-एसईजेड़ तथा निदेशक, एसटीपीआईज़ ने निर्यात योग्य वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त माल के लिए सीएसटी का प्रतिदाय संस्वीकृत किया।

घ. डीसी-एसईज़ेड तथा निदेशक, एसटीपीआईज़ ने सीएसटी दावों के विलम्बित प्रस्तुतिकरण पर लेट कट शुल्क लागू नहीं किया।

ड. सीएसटी की सनदी लेखाकार से समुचित प्रमाण-पत्रों के बिना ही डीसी-एसईज़ेड और निदेशक एसटीपीआईज़ द्वारा प्रतिपूर्ति कर दी गई थी।

12. हम निष्पादन प्रबंधन समीक्षा हेतु प्रदत्त सूचना के विश्लेषण में डीओसी, डीजीएफटी, डीईआईटीवाई आरएज़, जोनल डीसी-एसईज़ेड तथा एसटीपीआई के नामित अधिकारियों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। हमने 21 मार्च 2012 को आयोजित एंट्री कॉन्फ्रेंस में राजस्व विभाग, डीओसी, डीजीएफटी, डीईआईटीवाई तथा एसटीपीआई के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा के उद्देश्यों, कार्य क्षेत्र तथा लेखापरीक्षा प्रणाली पर चर्चा की; 24 सितम्बर 2012 तथा 31 जनवरी 2013 को ड्राफ्ट रिपोर्ट जारी की; तथा 8 फरवरी 2013 को एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस में निष्कर्षों और सिफारिशों पर चर्चा की। डीओसी, डीजीएफटी तथा डीईआईटीवाई द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों के उत्तर रिपोर्ट में शामिल कर लिए गए हैं।